



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
भवन एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय /Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
Phone: 011-41833031. Email: dpc-medhq@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in/www.esic.in

A-33013/10/2023-DPC(M)

Date: 16/02/2026

कार्यालय आदेश संख्या 02/2026

विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने आयुर्वेद उप संवर्ग में सातवें वेतन आयोग के वेतनमान लेवल-13 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) (आयुर्वेद) पद पर कार्यरत निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को वेतनमान लेवल-14 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) (आयुर्वेद) पद पर, दर्शाई गई तिथियों के अनुसार पदोन्नति (निगम के भर्ती विनियमों आदि के अंतर्गत) के आदेश दिए हैं:-

On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, Chairman, Employees' State Insurance Corporation has ordered the promotion of the following Medical officers in Ayurveda Sub-Cadre working as CMO (NFSG) (Ayurveda) in level 13 of pay matrix of the Seventh Pay Commission to the post of CMO (SAG) (Ayurveda) in level 14 of pay matrix (under Recruitment Regulations of ESIC etc.) from the date(s) shown against their names:

Sl. No.	ID No.	Name of M.O. (Dr.)	Place of Posting	Date of Promotion
1	111623	PRAVEEN LATA	ESIC Dispensary, Mayapuri- II	10-11-2024
2	117654	KAVITA GUPTA	ESICH, LUDHIANA	11-11-2024
3	112885	S VARALAKSHMI	ESICH, TIRUNELVELI	19-11-2024
4	101856	CHILAKAMUDI PULLARAO	ESICH, PEENYA	20-11-2024
5	115629	SALIJA VANI BATCHU	ESICH, RAJAJINAGAR	28-11-2024
6	111450	UMA NEHRA SETHI	ESICH, JHILMIL	01-12-2024

It may be noted:

1. आयुर्वेद उप संवर्ग- चिकित्सा में वे चिकित्सा अधिकारी, जो पदोन्नति की तारीख पर नियमित छुट्टी/ अध्ययन छुट्टी/प्रतिनियुक्ति/बाह्य कार्य इत्यादि पर होने के समय उच्चतर स्केल में पदोन्नत हुए हैं, के मामले में, वास्तविक पदोन्नति उनके कार्यग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी तथा उनके लौटने तक उन्हें कल्पित पदोन्नत किया जाएगा।

In the event of a Medical Officer in Ayurveda Sub Cadre, who is promoted in the higher scale, being on regular leave / study leave / deputation / foreign assignment etc. on the date of promotion, the actual promotion shall take effect from the date she/he assumes charge and notional promotion from the date of promotion.

2. चिकित्सा आधिकारी के वर्तमान तैनाती स्थान के नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पदोन्नति की तिथि पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा आधार/अध्ययन के प्रयोजन के अतिरिक्त उपभोग की गई असाधारण छुट्टी (यदि कोई) की अवधि को छोड़ कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) (आयुर्वेद) में आयुर्वेद उप संवर्ग में 7 वर्षों की सेवा पूरी की जा चुकी है। इसका विवरण क.रा.बी.निगम मुख्यालय को भी सूचित किया जाए।

The controlling officers of the Medical Officers (at the present place of posting) granted promotion shall ensure that the Medical Officer has completed 7 years' service in the grade of CMO (NFSG) (Ayurveda) in Ayurveda Sub Cadre after excluding the non-qualifying service period (if any) on account of dies-non and EOL availed other than on Medical Grounds/Study purposes. The details of such cases may also be reported to ESIC Hqrs.

3. उपर्युक्त पदोन्नत मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) (आयुर्वेद) का वेतन सामान्य वेतन नियमावली और प्रतिमानकों में वर्णित एफआर 22(I)(ए)(1) के अंतर्गत नियत किया जाएगा तथा पदोन्नत अधिकारी पदोन्नति आदेश की तिथि के एक माह के अन्दर वेतन नियतन के सम्बन्ध में अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे।

The pay of the aforesaid Promoted CMO (SAG) (Ayurveda) will be fixed as per the provisions of FR22(I)(a)(1) and they shall exercise their option for fixation within one month from the date of promotion order.

4. यह पदोन्नति समय-समय पर संबंधित क.रा.बी.निगम (कर्मचारीवृद्ध एवं सेवा की शर्तों) विनियमावली, 2023 में निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन होगी।

The promotion will be subject to such terms and conditions as laid down in ESI Corporation (Staff & Conditions of Service) Regulations, 2023, as amended from time to time.

5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) की उक्त सूची केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) (आयुर्वेद) के पद पर पदोन्नति आदेश है तथा किसी भी मामले में वरिष्ठता सूची नहीं है।

The said list of promoted CMO (NFSG) (Ayurveda) is only promotion order to the post of CMO (SAG) (Ayurveda) and not seniority list in any case.

6. ज्वाइनिंग रिपोर्ट सभी संबंधितों को एक प्रति के साथ med4-hq@esic.nic.in, med6-hq@esic.nic.in एवं dpc-medhq@esic.nic.in पर भेजी जायें।

Joining Report may be sent to all concerned with a copy to med4-hq@esic.nic.in, med6-hq@esic.nic.in & dpc-medhq@esic.nic.in.

(राजेश प्रसाद गुप्ता)

सहा. निदेशक (विभागीय पदोन्नति प्रकोष्ठ)

(चिकित्सा प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उनके नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
2. संबंधित चिकित्सा अधीक्षक/डीन, क.रा.बी.निगम अस्पताल/मेडिकल कॉलेज।
3. संयुक्त निदेशक (वित्त)/उप निदेशक(वित्त) संबंधित, क.रा.बी.निगम अस्पताल।
4. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी(एन.टी.ए.)
5. चिकित्सा शाखा-IV/ चिकित्सा शाखा-VI
6. गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियां।
7. वेबसाइट कंटेट मैनेजर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।